सं० डी० 222

REGISTERED No. D 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 6, 1973/पौष 16, 1894

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 6, 1973/ PAUSA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, by-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

मंत्रिमंडल सचिवालय
(कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1972

सा. का. नि. 1.—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1969 के नियम 24 और पांचवीं अनुसूची के उप-पैरा (2) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (ग्रेड 2 सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1971 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) ये विनियम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (ग्रेड 2 सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) द्वितीय संशोधन विनियम, 1972 कहे जा सकेंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (ग्रेड 2 सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1971 में, विनियम 4 के उप, विनियम (1) में आयु से संबंधित शर्त (ख) में :—

(क) "35 वर्ष की आयु" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर "45 वर्ष की आयु" अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) पहला परन्तुक छोड़ दिया जाएगा।

(ग) दूसरे परन्तुक में शब्द "और आगे" छोड़ दिया जाएगा।

[सं. 9/11/72-के. से. (2)]

एम. के. वासुदेवन, अवर सचिव

CABINET SECRETARIAT
(Department of Personnel)

New Delhi, the 8th December, 1972

G.S.R. 1.—In pursuance of the provisions of rule 24 of, and sub-paragraph (2) of the Fifth Schedule to, the Central Secretariat Stenographer's Service Rules, 1969, the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Central Secretariat Stenographers Service Grade II Limited Departmental Competitive Examination). Regulations, 1971 namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Central Secretariat Stenographer Service (Grade II Limited Departmental Competitive Examination)

दिनांक 18 दिसम्बर, 1972

सा.का.नि 16.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1776 तारीख 30 नवम्बर, 1964 में प्रकाशित आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती (7वां संशोधन) नियमावली, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी-3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में इंजीनियरी सहायक के पद से सम्बन्धित क्रम-संख्या 35 के सम्मुख कालम 11 के अन्तर्गत दिए गए फुट नोट के स्थान पर निम्नलिखित फुट नोट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"फुट नोट

भर्ती किए नए कर्मचारियों को अपनी परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ति होने से पहले एक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षा हर वर्ष सामान्य तौर पर दो बार लेकिन कम से कम एक बार होगी और प्रत्येक उम्मीदवार 2 वर्ष की अपनी परिवीक्षाधीन अवधि, जिसे नियुक्ति अधिकारी अपने विवेक से अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ा सकता है, के दौरान होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठ कर सफलता प्राप्त कर सकता है। निर्धारित परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान परीक्षा में सफल न होने पर भर्ती किए गए नए कर्मचारी परिवीक्षाधीन अवधि के उपरान्त सेवा में बने रहने के पात्र नहीं रहेंगे।"

[सं. 3/95/71-एस.-4]

आर. के. गुप्त, अवर सचिव।

The 18th December, 1972

G.S.R. 16.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964 published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. 1776, dated 30th November, 1964, namely:—

1. (i) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (7th Amendment) Rules 1972,

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against serial No. 35, relating to the posts of Engineering Assistant, under column 11, for the Foot Note, the following Foot Note shall be substituted, namely:—

"FOOT NOTE

The new recruits will have to pass a departmental test before the completion of their probation. The test will be held normally twice but at least once every year and each candidate will be allowed to attempt and qualify in any of the tests held during the period of his probation of two years extendable by a maximum period of one year at the discretion of the appointing authority. Failure to qualify in the test within the stipulated period of probation will render the new recruits ineligible to continue in service beyond the probationary period."

[No. 3/95/71-SIV]

R. K. GUPTA, Under Secy.

26 G of I/72.

PRINTED RY BHE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973